क्रम-संख्या–55

उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1951)

[अधिनियम संख्या 9, 1969 द्वारा यथासंशोधित]

उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 27 सितम्बर, 1951 तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् ने दिनांक 29 सितम्बर, 1951 की बैठक में स्वीकृत किया ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 5 नवम्बर, 1951 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 12 नवम्बर, 1951 ई0 को प्रकाशित हुआ ।

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय प्रयोजनों और अन्य विषयों के लिये प्रयोग के निमित्त भाषा के रूप में हिन्दी के अंगीकार के लिये व्यवस्था करने का

अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) में और विषयों के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के राजकीय प्रयोजनों और ऐसे विषयों के लिये जो इस अधिनियम में आगे चलकर प्रकट होंगे, प्रयोग में लाने के लिये भाषा के रूप में राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीकृत कर सकता है,

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त, नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1--(1) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 ई0 होगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

राज्य में हिन्दी का राजभाषा होना

2--संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में नियत करे, देवनागरी लिपि में हिन्दी का उपयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में होगा:

(क) (1) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रचारित अध्यादेश;

(2) भारत के संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, राज्य सरकार द्वारा प्रचारित आज्ञा, नियम, विनियम और उपविधि; और

(ख) राज्य के सभी या कोई राजकीय प्रयोजन;

और उपर्युक्त खड (क) और (ख) में उल्लिखित विभिन्न प्रयोजनों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, राज्य के किसी राजकीय प्रयोजनों के लिय भारतीय अंकों क अन्तर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी ।